POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2021/अंक 10

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 अक्टूबर, 2021 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर से 'संसदीय प्रणाली एवं जन अपेक्षाएं' विषय पर आयोजित सेमिनार में बहुत से ऐसे विचार उभर कर सामने आए, जिन्हें धरातल पर उतारना बेहद जरूरी है।

इसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सी.पी. जोशी का यह कथन कि राज्य चाहे कितनी ही अच्छी नीति बना लें, लेकिन राज्य काम नहीं करेगा और निचले स्तर पर पंचायत काम नहीं करेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं। जोशी जी द्वारा इस सच्चाई को सामने लाने और उनकी स्पष्टवादिता प्रशंसनीय है। उनके यह विचार काफी सारगर्भित है।

अमूमन यह देखने में आता है कि उच्च स्तर पर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें देश के विकास और आमजन की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बहुत सी नीतियां बनाती है। उन नीतियों के तहत अनेक योजनाएं भी बनती हैं। लेकिन निचले स्तर तक पहुंचने और उनके क्रियान्वयन में या तो बहुत देरी हो जाती है या वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं।

नतीजा यह होता है, उनका लाभ जरूरतमंद तक पहुंच ही नहीं पाता। इस शिथिलता को दूर करने के लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक माना गया है। यह एक सतत प्रक्रिया है। सभी सरकारें हमेशा इसे सुनिश्चित करने की कवायद में भी लगी रहती हैं। लेकिन नौकरशाही यानी प्रशासनिक तंत्र की कई बार कमियां उजागर होती रहती हैं।

प्रशासनिक तंत्र को दक्षतापूर्ण, प्रभावी, उत्तरदायी व ईमानदार होना चाहिए। साथ ही उनमें जन कल्याण की भावना भी विकसित हों, तभी सुशासन कहा जा सकता है। यह अच्छा संकेत है, हमारी सरकारों का फोकस ऐसे कार्यबल को तैयार करने में लगा है।

राज्य में सड़क सुरक्षा प्राधिकरण आवश्यक

घायलों की जान बचाना हमारा सभी का दायित्व: खाचरियावास

मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी 'कट्स' की ओर से जयपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने उद्बोधन में बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 2019 राज्य में भी लागू हो चुका है। इसके तहत सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा हमें सड़क दुर्घटनाओं के कारणों पर ध्यान देना होगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाना भी हमारा सभी का दायित्व है। ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती है। उन्होंने ट्रोमा केयर पॉलिसी व बाल सुरक्षा पॉलिसी बनाने की आवश्यकता जताई। परिवहन मंत्री सहित सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी राज्य में सड़क सुरक्षा प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता जताई।

कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि 100 साल पहले बने अधिनियम में समय के अनुसार बदलाव की जरूरत थी। इस अधिनियम में संशोधन के लिए 'कट्स' लम्बे समय से कार्यरत रहा है। लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों से लगातार सम्पर्क करते हुए अधिनियम में संशोधन के लिए भारत सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी भिजवाए गए। संशोधित अधिनियम अब पूरे देश में लागू हो चुका है।

कार्यशाला में ए.डी.जी., ट्रैफिक पुलिस सुष्मित बिश्वास ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए रोड डिजाइनिंग की भी प्रमुख भूमिका होती है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि यातायात नियमों की जागरूकता के लिए राज्य के सभी 33 जिलों में ट्रेफिक पार्क बनाए जा रहे हैं।

सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के डॉ. गिरधर गोयल ने बताया कि घायल को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए अस्पताल में अलग से ट्रोमा केयर सेंटर है, जहां आधुनिक चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस अवसर पर संयुक्त परिवहन आयुक्त निधि सिंह एवं पीपुल्स ट्रस्ट की प्रेरणा सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी सड़क सुरक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए।

ग्रामीण खेलों के लिए मोबाइल ऐप

जैसा कि 'ग्राम गदर' के पिछले अंक में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन के बारे में बताया गया था, उसमें तेजी लाते हुए राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। संभवतया नवंबर में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक के लिए गांव के युवा घर बैठे 'मोबाइल ऐप' के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह ऐप राजस्थान राज्य खेल परिषद् की साइट पर उपलब्ध है। स्पोर्ट्स काउंसिल की वेबसाइट www.rssc.in पर भी यह ऐप उपलब्ध है।

चांदना ने कहा कि इस तरह के खेल पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। इन खेलों में छोटे से छोटे गांव का खिलाड़ी भी भाग ले सकता है। इस आयोजन से खेलों में ग्रामीण प्रतिभाएं आगे आएंगी।

डकार रहे राशन: गरीब का पीपा खाली

प्रदेश के सीकर जिले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों की मौत के बाद भी राशन वितरण दिखाया जा रहा है। कई ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें सालों से राशन नहीं मिला, लेकिन उन्हें राशन देना दिखाया गया है। लोगों का आरोप है कि विभाग की शह से ऐसे घपले हो रहे हैं।

जिले के गोठड़ा तगेलान इलाके के लोगों ने ऐसे मामलों की साक्ष्यों के साथ रसद विभाग को शिकायत दी है। इसके बाद भी विभाग जांच के नाम पर खानापूर्ति करने में जुटा है। ग्रामीणों का कहना है कि सब कुछ ऑनलाइन होने पर भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि रसद विभाग के निरीक्षक अशोक पचार कहते हैं कि दस्तावेजों के आधार पर जांच कराई जा रही है। नियमानुसार कार्रवाई होगी।

विद्यार्थी स्कूलों में सीखेंगे खेती के गुर

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब खेती किसानी के गुर भी सीखेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 352 स्कूलों में कृषि संकाय की पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इन स्कूलों में जयपुर जिले के 14 स्कूल भी शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

साथ ही प्रदेश में लुप्त हो रहे खेलों को फिर से बढ़ावा देने के लिए भी शिक्षा विभाग ने पहल शुरू कर दी है। इसकी सरकार से स्वीकृति मिलने के साथ ही ऐसे 23 खेलों को सरकारी स्कूलों की खेल गतिविधियों में शामिल किया गया है।

देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भरोसे?

कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न कामकाज पर गहरा असर पड़ा, लेकिन देश में कृषि क्षेत्र लगातार बेहतर बना रहा। बावजूद इसके खेतिहर मजदूरों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ। इसमें रोजी-रोटी पा रहे मजदूरों खासकर महिलाओं के समक्ष बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और उनकी आमदनी कम हुई है।

यह तथ्य इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट से सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्यों में पलायन ज्यादा हुआ है, वहां महिलाओं की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। महिला किसान अधिकार मंच की सीमा कुलकर्णी ने बताया कि शहरों से मजदूरों के गांव लौटने से उन परिवारों की आमदनी पर ज्यादा असर पड़ा है जो पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं।

ग्रामीण घरों तक जल कनेक्शन

प्रदेश के 101.32 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 21 लाख घरों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2020-21 में करीब 6.77 लाख नए कनेक्शन लगाए गए हैं। अब वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने 30 लाख नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2020-21 में राजस्थान को केंद्र सरकार ने 2522 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब वर्ष 2021-22 में इसे बढ़ाकर 10180.50 करोड़ रुपए किया गया है। जिसकी पहली किस्त राज्य सरकार को दी जा चुकी है।

यह जानकारी केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देते हुए कहा कि 15 वें वित्त आयोग के तहत राजस्थान के पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष 2021-22 में 1712 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें से 50 प्रतिशत राशि जलापूर्ति और स्वच्छता पर खर्च की जानी है।

बेखौफ मिलावटखोरों की अब खैर नहीं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 में प्रदेश के लोगों को गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए 'फूड सेफ्टी निदेशालय' बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के इस सपने को साकार करने के लिए अधिकारी तैयारी में जुटे हैं।

चिकित्सा विभाग ने संभाग स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर मिलावट रोकने के लिए लगने वाले स्टाफ, भवन और गाड़ी आदि के लिए प्रस्ताव बनाकार वित्त विभाग को भेजा है। अब वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने पर इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। अभी कमजोर कानून के चलते मिलावटखोरों के हौसलें बुलंद है। फूड सेफ्टी एक्ट लागू होने को 10 साल बीत गए, लेकिन आज तक मात्र दो लोगों को सजा मिली है।

हस्तशिल्प उद्योग को लगेंगे पंख

राज्य सरकार प्रदेश के हस्तशिल्पियों (हैण्डीक्राफ्ट आर्टिजन) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हस्तशिल्प नीति बना रही है। प्रदेश में पहली बार शुरू होने वाली इस नीति का ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया गया है। इसमें हैण्डीक्राफ्ट कारीगरों, निर्माताओं तथा निर्यातकों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं होंगी। मनरेगा के तहत हैण्डीक्राफ्ट क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा।

नीति में हस्तशिल्प निर्माताओं, हस्तशिल्प निर्यातकों से मिले सुझावों को भी शामिल किया गया है। इससे हस्तशिल्प उत्पादों की कीमत और क्वालिटी निर्धारण में आसानी होगी। प्रदेश के मुख्य जिलों में रॉ मैटीरियल बैंक व डिजाइन डवलपमेंट सेन्टर स्थापित होंगे। उम्मीद है इससे निर्यात दोगुना होगा।

बदली लोगों की खरीददारी की आदत

कोरोना वायरस महामारी ने उपभोक्ताओं की खरीददारी की आदत में बदलाव कर दिया है। 71 फीसदी लोग बहुत उपयोगी, सेहत से जुड़ी, गुणवत्तापूर्ण, जरूरत और कीमत के हिसाब से वस्तुओं की खरीददारी कर रहे हैं। करीब 22 फीसदी उपभोक्ताओं को ऐसी चीजों की खरीददारी के लिए कीमत मायने नहीं रखती।

यह खुलासा एक्चेंचर की लाइफ रीइमेजिंग कंज्यूमर्स द्वारा भारत समेत 22 देशों के 25 हजार उपभोक्ताओं पर किए सर्वेक्षण के आधार पर जारी रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 59 फीसदी लोगों को दैनिक जरूरत के सामानों के लिए ऑनलाइन खरीददारी पसंद है। वहीं 81 फीसदी लोगों का कहना है कि उन्होंने अब विलासितायुक्त खर्चीले उत्पादों से दूरी बना ली है।

उद्यमियों, दस्तकारों के ऋण किए माफ

राज्य सरकार प्रदेश के दस्तकारों, बुनकरों, कुटीर एवं लघु उद्योगों को दो दशक से लंबित बकाया ऋण माफ करके बड़ी राहत देगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योग विभाग के विभिन्न ऋण योजनाओं के लाभार्थी दस्तकारों और छोटे उद्यमियों पर बकाया लगभग 8.04 करोड़ रुपए की राशि माफ करने का निर्णय किया है। इस निर्णय से कोरोना महामारी के दौरान विषम परिस्थितियों से जूझ रहे लघु उद्योगों से जुड़े उद्यमी दस्तकार एवं बुनकर लाभान्वित होंगे।

कामगारों को मिलेगा योजनाओं का लाभ

पोर्टल करेगा श्रमिकों की मदद

यह पोर्टल निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों, कृषि श्रमिकों, दूध वालों, मछुआरों, ट्रक चालकों सहित सभी असंगठित क्षेत्र के, श्रमिकों की मदद करेगा।

केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है। यदि आप असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं और अभी तक आपने इस पोर्टल पर अपना नामांकन नहीं किया है, तो इसे जरूर कर लें। पोर्टल पर नामांकन करने से कामगार श्रमिकों को सरकार द्वारा दी गई कई सुविधाओं सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा।

नामांकन के लिए http://eshram.gov.in पर जाना होगा। सरकार को उम्मीद है कि ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों का निःशुल्क नामांकन हो सकेगा। इसके अलावा श्रमिक अपने सवालों के जवाब और उनके समाधान के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 14434 पर संपर्क भी कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत मिलने वाला ई-श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा।

इसमें नामांकन करने वालों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा का कवरेज दिया जाएगा। दुर्घटना में हुई मृत्यु या अस्थाई रूप से विकलांग होने पर दो लाख रुपए और आंशिक रूप से विकलांग होने पर एक लाख की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई-श्रम द्वारा किया जाएगा। साथ ही आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केंद्र और राज्य सरकार से मदद प्राप्त करने में भी आसानी होगी।

बिल्डर को महंगा पड़ा समय पर फ्लैट नहीं देना

जयपुर निवासी संतोष गुप्ता, माणिक चंद गर्ग, दिनेश जैन और मंजूरानी ने जिला उपभोक्ता आयोग में आस्था बिल्डहोम के खिलाफ अलग-अलग परिवाद दर्ज कराए थे। जिसमें कहा गया था कि उन्होंने आस्था बिल्डहोम की आवासीय योजना में फ्लैट बुक कराया था। जिसके लिए बैंक से ऋण लेने के साथ आवश्यक राशि भी जमा कराई थी। इसके बाद भी आस्था बिल्डहोम द्वारा उन्हें समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया। मामले की सुनवाई पर बिल्डर की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से 18 माह में फ्लैट का कब्जा देने का कोई करार नहीं हुआ था। बजरी सप्लाई बंद होने से फ्लैट बनाने का काम बाधित हुआ है।

आयोग के अध्यक्ष भगवान दास अग्रवाल व सदस्य नीलम शर्मा ने माना कि बिल्डर के सेवा दोष के चलते परिवादियों को फ्लैट का समय पर कब्जा नहीं मिल पाया। इससे वे उसके उपयोग और उपभोग से वंचित रहे हैं। आयोग ने आस्था बिल्डहोम को सभी मामलों में चार-चार लाख रुपए हर्जाना और ग्यारह-ग्यारह हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर चुकाने के आदेश दिए हैं। साथ ही जमा कराई गई राशि भी मय 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स', जयपुर